UPJS010001062026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)

J. O. Code No- UP 6311

दाण्डिक निगरानी सं- 02/ 2026

सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र मनमोहन शर्मा निवासी ग्राम मथनियां थाना गरौठा जिला झांसी।

----पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य जरिए डी. जी. सी. क्रिमिनल --------**प्रत्यर्थी**

निर्णय

1. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट गरौठा, झांसी द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 165/ 2025 सरकार बनाम अज्ञात अन्तर्गत धारा 66(c) IT Act थाना गुरसरांय जिला झांसी के मामले में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15. 11. 2025 से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता ने प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण संस्थित किया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता/ वादी ने उपरोक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 15. 11. 2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण निम्न आधारों के आधार पर संस्थित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता ने पुनरीक्षण में यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। निगरानीकर्ता के खाता संख्या 50100469574574 में साइबर ठगी हुयी तथा प्रार्थी के खाते से क्रमशः 250000+4000+3600 रूपये फर्जी तरीके से किसी अज्ञात खातों में ट्रांसफर हो गए थे। जिसकी शिकायत निगरानीकर्ता ने थाना गुरसरांय मे की एवं साइबर मे भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी। जिस पर प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गुरसरांय में अ . सं 171/ 2025 में दर्ज हो गयी थी एवं निगरानीकर्ता के खाते से जो रूपया फर्जी तरीके से दूसरे खाते मे चला गया था उसे बैंक व साइबर टीम के द्वारा होल्ड कर दिया है। निगरानीकर्ता ने अपने होल्ड किए गए रूपये को अपने हक मे रिलीज किए जाने हेतु जे . एम गरौठा के यहां प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने थानाध्यक्ष गुरसरांय से निगरानीकर्ता के खाते मे हुई साइबर ठगी की जानकारी मांगी तो थाने से जो आख्या आयी थी उसमें प्रार्थी या प्रार्थी के खाते से संबंधित कोई भी जानकारी नही आयी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने भी थाने से स्पष्ट आख्या न मंगाकर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को खारिज कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ता ने उपरोक्त आधार पर निगरानी स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है।

3. संक्षेप में पुनरीक्षण को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / वादी सुरेन्द्र कुमार शर्मा की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के खाता एच. डी. एफ. सी बैंक गुरसरांय के खाते से मुबलिग 257600/ - रूपये निकाल लिए गए थे जो इस समय थाना हाजा गुरसरांय पर जमा है। प्रार्थी उक्त रूपयो का पंजीकृत स्वामी है। इसलिए उक्त सम्पूर्ण रूपया प्रार्थी के हक में रिलीज किया जाना आवश्यक है।

4. थाने से प्राप्त आख्या अनुसार "थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 171/ 25 धारा- 66 सी आई०टी० एक्ट बनाम खाता सं०- 50200026202917 खाता धारक अभिषेक

Digitally signed by ADITYA CHATURVEDI
Date: 2026.06.03 10:56:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मौर्या के विरुद्ध पंजीकृत है। जिसमें साइवर क्राइम पोर्टल की शिकायत सं० 33108250093958 में खाता सं० 0343104000273480 आईएफएससी IBK 10000343 में 25000 रु०, खाता सं० 13970100012188 आईएफएससी BARBONIKOOM (Bank of Baroda) में 105218. 27 रु०, खाता सं० 31750100003405 आईएफएससी IDIBH22403974 (Bank of Baroda) में 25000 रु०, खाता सं०- 230121845399 7111 आईएफएससी AUBL0002184 (AU Bank) में 29938 रु० खाता सं०- 0661252400017401 आईएफएससी KARB0000661 (Karnatka Bank Ltd.) में 18223/ रु०, खाता सं०- 8000002044 7120990 आईएफएससी SBIN000000 (State Bank of India) में 5425 रु०, खाता सं०- 0248500157 आईएफएससी KKBK0000131 (Kotak Mahindra Bank) में 5000/- रु०, खाता सं०- 50100249634533 आईएफएससी HDFC0000930 (HDFC Bank) में 11362. 65 रु०, खाता सं०- 50511760196 आईएफएससी IDIB000G547 (Indian Bank) में 5000/- रु०, खाता सं०- 00000040257159811 आईएफएससी SBIN0001232 (State Bank of India) में 4238. 25 रु०, खाता सं०- 87581051000071 आईएफएससी BKID0008758 (Bank of India) में 3000/- रु०, खाता सं०- 7648620997 आईएफएससी KKBK0000193 (Kotak Mahindra Bank) में 3000/- रु०, खाता सं०- 7081813749 आईएफएससी IDIB000K669 (Indian Bank) में 4124 रु०, खाता सं०- 20200046283258 आईएफएससी BDBL0002382 (Bandhan Bank) में 3477/- रु० **होल्ड** किया गया है। उक्त धनराशि प्रार्थी के हक में अवमुक्त करने की कृपा करे।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण के उपरोक्त आधारों का खण्डन करते हुए मौखिक तर्क रखा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15. 11. 2025 विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है।

6. **न्यायालय ने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी व पत्रावली का परिशीलन किया।**

7. पत्रावली अवलोकन से विदित हुआ कि मामले में निगरानीकर्ता के कथित खाते में साइबर ठगी हुयी थी। जिसके अनुक्रम में उसके खाते से तीन विभिन्न विभिन्न राशियों में अज्ञात लोगो द्वारा अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। जिसकी शिकायत उसने थाना गुरसरांय में की व साइबर हेल्पलाईन में भी दर्ज कराया। जिस पर थाना गुरसरांय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 171/ 2025 दर्ज हुयी और जो उसके खाते से साइबर ठगी के माध्यम से रूपया दूसरे के बैंक खातों में गया उसे बैंक व साइबर टीम द्वारा होल्ड कर दिया गया। उसने अधीनस्थ न्यायालय में अपने होल्ड रूपयों की रिलिज हेतु आवेदन दिया। जिस पर थाने से जो आख्या आयी उसमें कोई भी निगरानीकर्ता के खाते से संबंधित कोई जानकारी नही आयी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने थाने से स्पष्ट आख्या न मंगाकर उसके आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है जो कि निरस्त होने योग्य है।

8. मामले में प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15. 11. 2025 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने जो मुबलिग 257600/- रूपये की रिलिज हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा जनपद झांसी के न्यायालय में दिनांक 17. 10. 2025 को आवेदन दिया था। उस पर थाना गुरसरांय से आख्या

प्रस्तुत की गयी। उस आख्या के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता जो कि मामले का वादी है, उसने जो अपनी तहरीर में कथित खातों का जो उल्लेख किया है। जिनमें वह अपना पैसा ट्रांसफर होना कहता है, उनका कोई उल्लेख थाना गुरसरांय की कथित आख्या में नही है। थाना गुरसरांय ने निगरानीकर्ता के आवेदन पर जो थाना आख्या प्रस्तुत की है, उसमें चौदह खाता संख्या व बैंक व उनमें होल्ड की गयी धनराशियों का उल्लेख है किन्तु उनमें निगरानीकर्ता द्वारा बताये गए अज्ञात अभियुक्तगण के खाते या निगरानीकर्ता द्वारा कथित तीनो राशियों का कोई उल्लख दृष्टिगोचर नही हो रहा है। पुलिस ने अपनी आख्या में निगरानीकर्ता के पक्ष में धनराशि को अवमुक्त करने की याचना की थी। किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि जब निगरानीकर्ता के खाते का कोई विवरण थाना आख्या में नही आया था और अधीनस्थ मजिस्ट्रेट ने जो अपने आदेश में यह तथ्य सम्प्रेक्षित किया कि थाने से प्राप्त आख्या में जिन बैंक खातो का विवरण दिया गया है, उसमें प्रार्थी के उक्त खातो से उतनी धनराशि की ठगी होना स्पष्ट नही हो रहा है। **थाने से प्राप्त आख्या में जिन खातों व बैंको का विवरण दिया गया है वह अलग अलग बैंको के खाते है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में अपने एच . डी. एफ. सी बैंक खाते का विवरण स्पष्ट नही किया है और न ही इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।** यानि कि अधीनस्थ मजिस्ट्रेट ने भी प्रश्नगत आदेश पारित करते समय यह पाया कि मामला थाना आख्या से स्पष्ट नही हो पा रहा है और उसमें निगरानीकर्ता के खाते से संबंधित या अज्ञात अभियुक्तगण से संबंधित कोई विवरण दर्ज नही है और जो थाना आख्या में चौदह खाते व बैंको का उल्लेख है, वे भी अलग अलग है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जब आदेश पारित करते समय अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को थाना आख्या मामले के संदर्भ में स्पष्ट प्रतीत नही हुयी तो क्या उनका यह विधिक दायित्व नही बनता था कि वे संबंधित पुलिस थाने से इस संबंध में स्पष्ट आख्या प्राप्त करते। अधीनस्थ मजिस्ट्रेट का आदेश पारित करने से पूर्व यह भी विधिक दायित्व था कि यदि निगरानीकर्ता के कथित एच . डी. एफ. सी खातों का विवरण स्पष्ट नही था या उनको साक्ष्य की जरूरत थी तो वे उसको निगरानीकर्ता को अवसर देते हुए मंगाते और तत्पश्चात आदेश पारित करते। निगरानीकर्ता कथित होल्ड सम्पत्ति का स्वामी है और वही मामलें का वादी है। मामले में थाना गुरसरांय ने भी पैसा रिलिज किए जाने पर अनापत्ति दी थी। उसके बावजूद भी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट ने बिना सम्यक जांच व न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए एक गलत व अविधि मान्य आदेश पारित कर दिया है और जिसके बने रहने का कोई औचित्य विद्यमान नही है। प्रार्थी के साथ ऑनलाईन ठगी हुयी है। अतः उसके जो रूपये पुलिस ने होल्ड कराये है, उसके लिए मजिस्ट्रेट को सम्यक कार्यवाही करनी चाहिए थी और आदेश पारित समय **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** की **लैण्डमार्क** विधि व्यवस्था **सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (2002) 10 SCC 283/ AIR 2003 SC 638** में विहित दिशा निर्देशो का ध्यान रखना चाहिए था। अधीनस्थ मजिस्ट्रेट ने सरसरी तौर पर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है जो कि वर्तमान केस की परिस्थितियों में निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार निगरानीकर्ता की दाण्डिक निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता सुरेन्द्र कुमार शर्मा की दाण्डिक निगरानी संख्या 02/ 2026 अन्तर्गत धारा 438 BNSS 2023 **स्वीकार** की जाती है। **अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा जिला झांसी का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 15. 11. 2025 अपास्त किया जाता है।**

अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को आदेशित किया जाता है कि वे मामले में थाना गुरसरांय से

इस निर्णय के प्रकाश में पुनः वांछित स्पष्ट आख्या प्राप्त करे और आदेश में वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए पुनः मामले के गुण दोष पर नवीन आदेश पारित करे।

निगरानी की पत्रावली आदेश के साथ विहित समय पर दाखिल दफतर की जाये और निगरानी के आदेश की एक प्रति अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को वास्ते अनुपालन हेतु भेजी जाये। निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11. 06. 2026 को मय अधिवक्ता उपस्थित हो।

दिनांक-03.06.2026

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश,
अनु. जाति और जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, झांसी।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षर करके व दिनांक डाल करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक- 03.06.2026

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश,
अनु. जाति और जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, झांसी।